



2026:CGHC:3252



2026:CGHC:3252

NAFR

HIGH COURT OF CHHATTISGARH AT BILASPUR

FA No. 189 of 2023

Rukmani Bai Wd/o Late Makhanlal Soni Aged About 65 Years R/o Bramhan Mohalla, Rani Road, Champa Ward No. 4, Nagar Palika Area, Tahsil And Police Station- Champa,, District : Janjgir-Champa, Chhattisgarh

... Appellant

versus

1 - Ashok Kumar (Died) Through Lrs As Per Hon'ble Court Order Dated 06.01.2026

1.1 - Chandravati Soni Wd/o Late Ashok Kumar Aged About 62 Years R/o Kadamb Chowk, Champa, District Janjgir-Champa (C.G.)

1.2 - Menka Soni S/o Late Ashok Kumar Aged About 47 Years R/o Kadamb Chowk, Champa, District Janjgir-Champa (C.G.)

1.3 - Satyanarayan Soni D/o Late Ashok Kumar Aged About 43 Years R/o Kadamb Chowk, Champa, District Janjgir-Champa (C.G.)

1.4 - Mohnis Kumar Soni S/o Late Ashok Kumar Aged About 37 Years R/o Kadamb Chowk, Champa, District Janjgir-Champa (C.G.)

1.5 - Kavita Soni D/o Late Ashok Kumar Aged About 39 Years R/o Kadamb Chowk, Champa, District Janjgir-Champa (C.G.)

2 - Sarita Bai D/o Makhanlal Aged About 36 Years W/o Omprakash R/o Takhatpur, District- Bilaspur, At Present R/o Bramhan Mohalla, Rani Road, Champa Ward No. 4, Nagar Palika Area, Tahsil And Police Station- Champa,, District : Janjgir-Champa, Chhattisgarh

... Respondents

(Cause-file taken from the Case Information System)

For Appellant	:	Mr. K.K. Pandey, Advocate
For Respondents 1(a) to 1(e)	:	Mr. Shobhit Koshta, Advocate



Hon'ble Shri Bibhu Datta Guru, Judge

Order on Board

20/01/2026

1. The present First appeal has been filed being aggrieved by the impugned judgment and decree dated 29.01.2018 passed by 3rd Additional District Judge, District: Janjgir-Champa, C.G. in Civil Suit No. 11-A/2013 whereby the suit filed by the appellant/plaintiff has been dismissed.
2. The matter was sent to mediation center of this Court for mediation by order dated 25.07.2025 and as per the mediation report, both the parties appeared before the mediation center on 06.08.2025 and the matter has been settled.
3. Learned counsel for the parties jointly submit that the dispute between the parties has been settled. They further submit that before the Mediation Centre of this Court, two LRs of respondent No.1, namely Satyanarayan Soni and Mohnis Kumar Soni, along with respondent No.2, Sarita Bai, were present, and that they are ready and willing to fulfill the conditions enumerated in the settlement recorded by the Mediation Centre of this Court.
4. For the sake of convenience the mediation report dated 06.08.2025 is reproduced as under:-



समझौता पत्र

1. यह कि उपरोक्त प्रकरण 1/3 भाग पर कब्जा एवं घोषणा हेतु जो कि ग्राम चांपा, नगरपालिका क्षेत्र वार्ड क. 4 रानीरोड चांपा में स्थित नजूलशीट 5-सी. भूखंड नंबर 176/1. खसरा नंबर 498 क्षेत्रफल 92 वर्गमीटर पर स्थित पक्का मकान आंगन एवं बाड़ी के विभाजन से संबंधित है।
2. यह कि उपरोक्त प्रकरण के लंबन अवधि के दौरान अपीलार्थी क. 1 अशोक कुमार @ नरेन्द्र सोनी की मृत्यु 24.11.2020 को हो गई है, अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त प्रकरण क. FA No. 189/2023 में अशोक कुमार @ नरेन्द्र सोनी के विधिक वारिसान को प्रकरण में जोड़ने हेतु एक आवेदन पंद्राह दिवस के भीतर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
3. यह कि अशोक कुमार @ नरेन्द्र सोनी के विधिक वारिसान द्वारा 6,00,000/- (छः लाख रुपये) का डीमांड ड्राफ्ट/ऑनलाईन के माध्यम से 15/09/2025 के पूर्व अपीलार्थी रूकमणी बाई /उत्तरवादी क्र० 2 सरिता बाई को प्रदान किया जायेगा।
4. यह कि एक मुश्त 6.00,000/- (छः लाख रुपये) की राशि श्री सत्यनारायण सोनी पिता श्री अशोक कुमार @ नरेन्द्र सोनी



द्वारा दिया जायेगा राशि मिलने के पश्चात् अपीलार्थी रूकमणी बाई एवं उनकी पुत्री सरिता बाई उत्तरवादी क. 2 के द्वारा विवादित वाद भूमि पर अपना-अपना 1/3 हिस्सा जो की ग्राम चांपा, नगरपालिका क्षेत्र वार्ड क. 4 रानीरोड चांपा में स्थित नजूलशीट 5-सी. भूखंड नंबर 176/1, खसरा नंबर 498 क्षेत्रफल 92 वर्गमीटर पर स्थित पक्का मकान आंगन एवं बाड़ी के विभाजन से संबंधित है का हक त्याग श्री अशोक कुमार @ नरेन्द्र सोनी के वारिसानो के पक्ष में किया जायेगा।

5. यह कि 6,00,000/- (छः लाख रुपये) अपीलार्थी को श्री अशोक कुमार @ नरेन्द्र सोनी के विधिक वारिसान श्री सत्यनारायण सोनी के द्वारा प्रदान करने के पश्चात उक्त राशि के प्रदान करने की रसीद अपीलार्थी या उसके अधिवक्ता को प्रदान की जावेगी एवं तत्पश्चात उपरोक्त समझौतानुसार उभयपक्षों द्वारा माननीय न्यायालय से डिकी प्राप्त किए जाने हेतु निवेदन किया जावेगा।

6. यह कि अपीलार्थी रूकमणी एवं उनकी पुत्री सरिता बाई उत्तरवादी क. 2 के द्वारा ग्राम चांपा, नगरपालिका क्षेत्र वार्ड क. 4 रानीरोड चांपा में स्थित नजूलशीट 5-सी. भूखंड नंबर 176/1. खसरा नंबर 498 क्षेत्रफल 92 वर्गमीटर पर स्थित पक्का मकान आंगन एवं बाड़ी के विभाजन से संबंधित है पर हक संबंधित स्वयं या उनके विधिक वारिसानो द्वारा किसी भी प्रकार द्वावा एवं आपत्ति भविष्य में नहीं किया जावेगा।



उभयपक्ष इस समझौता पत्र की शर्तों से सहमत हैं एवं पालन के लिए कटिबद्ध हैं समझौता पत्र में दी गई शर्तों को दोनों पक्षों के द्वारा अपनी स्वयं की स्वेच्छापूर्वक सहमति एवं बिना किसी दबाव, भय एवं लालच के स्वीकार किया गया है। उभयपक्ष ने इस समझौता पत्र की शर्तों को पढ़ने व समझने के पश्चात अपनी स्वतंत्र सहमति से परस्पर एक-दूसरे की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर निष्पादित किया।"

5. In view of the above submission and mediation report dated 06/08/2025, the present appeal is **disposed off**. Mediation report of the settlement arrived at between the parties will be part of the decree.
6. Decree be drawn in terms of the mediation arrived at between the parties.

SD/-

(Bibhu Datta Guru)
Judge